


न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म०प्र०)



II/निगरानी/रीवा/भू-रा/2018/2106  
देवरती सेन पत्नी सुदामा सेन पुत्री जागेश्वर प्रसाद सेन सा० डेकहा  
तहसील हुजूर जिला रीवा (म०प्र०)

लेश कुमार निगम एस  
आज कि. 24/18 को  
11 प्रारंभिक तर्क हेतु  
11-4-18 नियत।

आवेदक / निगरानीकर्ता

बनाम

मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिलाध्यक्ष जिला रीवा (म०प्र०)

अनावेदक / गैरनिगरानीकर्ता

पुनरीक्षण आवेदन विरुद्ध आदेश  
श्रीमान् जिलाध्यक्ष महोदय जिला रीवा  
प्रकरण क्रमांक 11-अ-74/निगरानी  
/2015-16 अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०  
भू-राजस्व संहिता 1959 ई०


यालय महापंचवक्ता ग्वालियर  
म प्रति. 18/04/18  
क्र. 18/04/18  
दि. 24/4/18

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- दो/निगरानी/रीवा/भू.रा./2018/2106

देवरती सेन विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-02-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री डी.एस. चौहान अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर रीवा, जिला-रीवा के प्र. क्र. 11/अ-74/निगरानी/2015-16 में आदेश दिनांक 27-03-2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 22-4-2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p> (आर.के. जैन) सदस्य 22/2/19</p>